भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2273

08 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि का वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तन

2273 श्री संदोष कुमार पी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में अवसंरचनात्मक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि भूमि के नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि भूमि के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि भूमि को वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तित करने से देश में दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही औद्योगिक परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि का आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं करता है।

केंद्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 लागू किया है, जो दिनांक 01.01.2014 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 बहु-फसलीय सिंचित भूमि के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, जब तक कि असाधारण मामलों में कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, अधिग्रहित भूमि के समतुल्य क्षेत्रफल की खेती योग्य बंजर भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा, या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के समतुल्य राशि को संबंधित सरकार के पास जमा किया जाएगा ताकि उसे कृषि में निवेश कर खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013, जब तक नितांत आवश्यक न हो, ऐसे परिवर्तनों को दृढ़ता से हतोत्साहित करता है। जहां कहीं भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहां किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिपूरक उपाय किए जाते हैं, जिनमें मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ, तथा कुछ मामलों में भूमि के बदले भूमि का मुआवजा शामिल होता है।

(ग) और (घ): भूमि राज्य का विषय होने के कारण, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने तथा कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने से रोकने के लिए उचित उपाय करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 में देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षोपाय के विशेष प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बहु-फसलीय सिंचित भूमि के अधिग्रहण को कम करने तथा किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए समग्र रूप से कृषि भूमि के अधिग्रहण की सीमा निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। परिणामस्वरूप, सकल फसली क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन और फसल गहनता में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 के 246.42 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 353.96 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है । बागवानी उत्पादन भी वर्ष 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 367.72 मिलियन टन (दूसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है।
